

अध्याय-पंचम

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज संस्थाओं में जनजातियों की सहभागिता: एक आनुभविक अध्ययन

परिचय

भारत जैसे देश में जहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी गाँवों में रहता है, इसीलिये ग्रामों की उन्नति से ही देश की उन्नति एवं विकास सम्भव है। ग्रामीण समाज की उन्नति का एक महत्वपूर्ण माध्यम पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के प्रजातंत्र की आत्मा है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य भारत के विशाल ग्रामीण जनसमूह को प्रजातंत्र की शिक्षा देना तथा उन्हें प्रजातंत्र के सक्रिय नागरिक बनाने की क्षमता प्रदान करना है। वास्तव में ग्रामीण जीवन के लिये पंचायती राज व्यवस्था जो महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, वह किसी भी दूसरे संगठन द्वारा सम्भव नहीं हो सकता है। पंचायती राज व्यवस्था में कार्यों को मूर्त रूप प्रदान करने में ग्राम प्रधानों की अहम भूमिका होती है। उन्हीं के प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायतें अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो पाती हैं। प्रस्तुत अध्याय में ग्राम्य विकास कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है। इस अध्याय में आदिवासी क्षेत्रों के ग्राम प्रधानों से कृषि विकास, पशु सुधार, स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति कल्याण, निर्बल वर्ग कल्याण कार्यक्रमों को सम्पन्न कराने में भूमिका का अध्ययन किया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में कौन-कौन सी समस्याएँ विद्यमान हैं, उनका भी अध्ययन किया है। इस अध्याय के अन्त में ग्राम प्रधानों के विभिन्न संदर्भों के प्रति दृष्टिकोणों को भी ज्ञात किया गया है। संकलित प्राथमिक आँकड़ों को अग्रगामी सारिणियों में प्रदर्शित किया गया है।

अब तक हमने भारत में पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर चर्चा की। बेशक इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग भी शामिल हैं। जैसा कि मेरा अध्ययन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अनुसूचित जनजातियों तक सीमित है, इस पर अब परिकल्पना के आधार पर चर्चा की गयी है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971 की जनगणना तक कोई जनजातीय आबादी नहीं थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त सहित विभिन्न वैधानिक निकाय ने जनजातीय आबादी के जिलेवार की सूचना दी गयी है। वर्ष 2002 के अंत में, कुछ जनजाति समूहों को अनुसूची जनजाति सूची में रखा गया है। एकमात्र शेड्यूल गोंड जनजाति, जिसे शेड्यूल जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। इन सभी पाँच वर्षों की अवधि के दौरान इन जनजाति के लोगों ने विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से सबसे अधिक शिकार किया है। उत्तरप्रदेश प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग राज्य का एक आदिवासी क्षेत्र है और इन सभी वर्षों के दौरान वे विकास से वंचित थे, जो उन सभी वर्षों में अपनी सुविधाओं से वंचित लोगों से सत्ता छीन लेते हैं वे समुदाय नक्सलवाद के रास्ते पर चल पड़े हैं। आदिवासियों को उनकी ही ज़मीनों से हिंसक रूप से उखाड़ फेंका गया है और समाज को सहानुभूतिपूर्वक उन ज़मीनों की बहाली पर विचार करना चाहिए, जहाँ सदियों से अपना अपना घर मान कर रह रहे हैं। अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग (लगभग 75%) गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ऊंची जाति के शोषण ने उन्हें गुलामों की तरह काम करने के लिए मजबूर किया गया है, जिससे उनके साथ सामाजिक भेदभाव हो गया। आदिवासी समाज में आर्थिक विकास और शैक्षिक सुविधाओं की कमी है। आदिवासी स्त्री के पिछड़ेन का कारण है।

1. लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए परिवार का विरोध
2. गांवों में असुरक्षा का डर
3. आवास, स्कूल, परिवहन और चिकित्सा सुविधाओं जैसी भौतिक सुविधाओं का अभाव है

4. लड़कियों को घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया जाता है जो उन्हें स्कूल जाने से रोकती हैं। 5. परिवार के लिए कमाने के लिए काम करना लड़कियों को स्कूल जाने से रोकती है। 6. कई को कम उम्र में शादी करने के लिए मजबूर किया गया है जिस कारण वह स्कूल जाना बंद कर देती हैं। 7. अपनी आजीविका कमाने के लिए माता-पिता के साथ काम करने के वे भी अनपढ़ रह गए हैं। 8. घर से स्कूलों की दूरी के कारण भी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाई है। जीवन के प्रति आदिवासी लोक के पूरी तरह से अलग रवैये के कारण, समाज की वर्तमान व्यवस्था के साथ खुद को समायोजित करना मुश्किल हो जाता है। उनका ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों जीवन दृष्टिकोण अलग है। आजीविका का तरीका न केवल ग्रामीण लोगों की अन्य श्रेणियों से अलग है, बल्कि जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण अन्य निचली जातियों से भी काफी अलग है। अब उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार और अन्य गैर-सरकारी संगठनों (N.G.O.) द्वारा कई कार्यक्रम चलाये जाना अनिवार्य हो गया है। सरकारी अधिकारियों, समाज सुधारकों और एनजीओ को जीवन के प्रति अपने विचारों का सम्मान करने और उनकी समाजशास्त्रीय मानसिकता को समझने के लिए अपना रवैया बदलना चाहिए। यदि वे आदिवासी लोगों की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं, तो भारत की इक्कीसवीं सदी बेहतर आजीविका और सम्मानजनक जीवन शैली के साथ उनके लिए एक नई उम्मीद जगाएगी। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से आदिवासी समाज के अपने स्वशासन और सरकारी योजनाओं से उनकी सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक उत्थान संभव हो रहा है।

शोध के उद्देश्य विषय वस्तु को सामान्य रूप से उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से आदिवासी के राजनितिक सामाजिक-आर्थिक जीवन में हो रहे परिवर्तन की जाँच करना है ।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे आदिवासी विकास कार्यक्रमों के प्रभाव तक पहुँचने के लिए सोनभद्र जिले (यू.पी.) का अध्ययन, आदिवासी पुरुष और महिलाओं की जागरूकता और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी का अध्ययन करना, पंचायती राज व्यवस्था में आदिवासी समाज की भागीदारी की उभरती प्रवृत्ति का अध्ययन करना, आदिवासीयों के सशक्तीकरण के लिए विकास के सरकारी पोरग्रामों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना, पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों से अपेक्षित भूमिका और उनके द्वारा देखे गए प्रदर्शन के स्तर का अध्ययन करना रहा है।

अनुसूचित जनजाति ग्राम प्रधान का चुनाव के कारण

एक जटिल समाज में विभिन्न व्यक्तियों के मध्य सामाजिक अन्तःक्रियाएँ निरन्तर होती रहती हैं। यह पद के अनुरूप व प्रस्थिति से सम्बन्धित होती हैं। इलियट एवं मैरिल ने लिखा है कि, “प्रस्थिति व्यक्ति का वह पद है, जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह व उपलब्धियों आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है।” भूमिका का तात्पर्य कार्य से होता है, इसका निर्धारण पद या प्रस्थिति के अनुसार होता है। भूमिका को प्रस्थिति से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भूमिका प्रस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। लिण्टन ने भूमिका को परिभाषित करते हुए लिखा है कि, “भूमिका शब्द का प्रयोग किसी विशेष प्रस्थिति से सम्बन्धित सांस्कृतिक प्रतिमान की सहायता के लिये किया जाता है, जो किसी विशेष पद से सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों को समाज द्वारा प्रदत्त होती है।” सार्जेण्ट ने भी लिखा है कि, “किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान अथवा प्रारूप है, जिसे वह अपने समूह के सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुसार एक विशेष प्रस्थिति में ठीक समझता है।” प्रस्थिति एवं भूमिका में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि दोनों को एक दूसरे का

पूरक कहा जाता है। अतः कहा जा सकता है कि बिना प्रस्थिति के कोई भूमिका नहीं होती है और बिना भूमिका के कोई प्रस्थिति नहीं होती है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति की जो सामाजिक प्रस्थिति है उसी के अनुसार व्यक्ति के आचरण की प्रत्याशा की जाती है। यह प्रस्थिति के अनुसार आचरण की प्रत्याशा और उसके अनुरूप व्यवहार की सामाजिक भूमिका है।

लोकतंत्र राजनैतिक विकास का आधार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर समाज के सभी वर्ग के लोगों को राजनीति में आने का अवसर प्राप्त होता है। साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनसाधारण की निष्ठा बनी रहे इसके लिए आवश्यक है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनाव समय-समय पर होते रहें। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिकरण की प्रक्रिया अधिक गतिशील रहती है। वर्तमान में गाँव से लेकर सम्पूर्ण देश तक में राजनीतिकरण की प्रक्रिया के प्रभाव को देखा जा सकता है। प्रस्तुत शोध में उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था और अनुसूचित जनजातियों सूचनादाताओं से यह ज्ञात किया है कि उन्होंने ग्राम प्रधान का चुनाव क्यों लड़ा है?

संकलित आँकड़ों को सारिणी संख्या 5.1 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.1

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था और अनुसूचित जनजाति सूचनादाताओं के ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के कारणों के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	चुनाव लड़ने के कारण	संख्या	प्रतिशत
1.	ग्रामीण विकास करना	103	34-33%
2.	समाज सेवा करना	91	30-33%
3.	पारिवारिक प्रतिष्ठा को बढ़ाना	67	22-34%
4.	धन अर्जित करना	39	13-00%
	योग	300	100-00%

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 103 (34.33%) सूचनादाताओं (जनजाति समुदाय) ने ग्राम प्रधान का चुनाव ग्रामीण विकास करने के कारण, 91 (30.33%) ने समाज सेवा करने के कारण लड़ा गया है। 67 (22.34%) ने यह चुनाव पारिवारिक प्रतिष्ठा बनाने के लिये तथा 39 (13.00%) ने धन अर्जित करने के लिए लड़ा है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (64.66%) सूचनादाताओं ने ग्राम प्रधान का चुनाव ग्रामीण विकास एवं समाज सेवा करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए लड़ा है। यह तथ्य सूचनादाताओं का ग्रामीण समाज के प्रति समर्पित भाव को प्रकट करता है। ग्राम प्रधान चुनाव में विजय होने के कारण किसी भी देश की उन्नति एवं विकास में नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसी भी व्यक्ति के चुनाव में विजयी होने के लिए आवश्यक है कि उसमें कुछ विशिष्ट गुण एवं योग्यताएँ हों। आलपोर्ट ने ने नेताओं के कुछ विशिष्ट गुणों जैसे -

शारीरिक शक्ति, तीव्रबुद्धि, सामाजिकता, प्रेरणात्मकता, कार्य संलग्नता, व्यापक समझ, फुर्तीलापन, मधुरवाणी, दृढ़ता, स्पष्टवादिता आदि का उल्लेख किया है। उनकी मान्यता है कि इन गुणों से सम्पन्न व्यक्ति सहजता के साथ चुनावों में विजय प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार लुईस की मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति के चुनाव में विजयी होने के लिए उसमें कुछ विशिष्ट गुण जैसे - सम्पत्ति, शिक्षा, परिवार की प्रतिष्ठा, बाहर के लोगों से सम्बन्ध, अवकाश, व्यक्तित्व के गुण, परिवार में सदस्यों की अधिक संख्या आदि होने चाहिए।

प्रस्तुत शोध द्वारा उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था और अनुसूचित जनजातियों सूचनादाताओं अनुसूचित जनजाति समुदाय से ज्ञात किया है कि उनके चुनाव में विजयी होने के क्या कारण रहे हैं?

संकलित तथ्यों को सारिणी संख्या 5.2 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.2

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था और अनुसूचित जनजातिय सूचनादाताओं द्वारा ग्राम प्रधान चुनाव में विजयी होने के कारणों के आधार पर वर्गीकरण

क्रम संख्या	चुनाव में विजयी होने के कारण	संख्या	प्रतिशत
1-	परिवार की प्रतिष्ठा , शिक्षा एवं स्पष्टीकरण	169	56-33%
2-	जनजातीय सदस्यों एवं नेताओ का सहयोग	97	32-33%
3-	ईमानदारी, भूस्वामी एवं अधिक आयु	34	11-34%
	योग	300	100-00%

सारिणी संख्या 5.2 की विवेचना से स्पष्ट होता है कि 169 (56.33%) सूचनादाताओं ने ग्राम प्रधान चुनाव में विजयी होने का कारण परिवार की प्रतिष्ठा, शिक्षा एवं स्पष्टवादिता को माना है। 97 (32.33%) ने इसका कारण जातीय सदस्यों एवं नेताओं का सहयोग देना माना है तथा शेष 34 (11.34%) ने ग्राम प्रधान चुनाव में विजयी होने का कारण ईमानदारी, भूस्वामित्व तथा अधिक आयु को उत्तरदायी कारण माना है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (56.33%) सूचनादाताओं ने ग्राम प्रधान चुनाव में विजयी होने का प्रमुख कारण परिवार की प्रतिष्ठा, शिक्षा एवं स्पष्टवादिता को प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारण माना है। उनकी मान्यता है कि इन्हीं प्रमुख कारणों से उन्हें ग्राम प्रधान चुनाव में विजय प्राप्त हुयी है।

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था और अनुसूचित जनजाति सूचनादाताओं द्वारा ग्राम पंचायतों की बैठकों में भाग लेना

त्रिस्तरीय पंचायत राजव्यवस्था की ग्राम पंचायत सबसे निम्नतम स्तर की इकाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने की पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है। ग्राम पंचायत में स्वशासन से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित होते हैं। शासन ने पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की स्वतंत्र इकाइयाँ बनाने हेतु विविध कार्यों, अधिकारों, कर्तव्यों एवं शक्तियों को ग्राम पंचायतों को प्रदान किया है। शोध के माध्यम से उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था और अनुसूचित जनजातियों सूचनादाताओं द्वारा अनुसूचित जनजातियों का ग्राम पंचायतों की बैठकों ज्ञात किया है कि क्या सूचनादाता अनुसूचित जनजातिय समुदाय ग्राम पंचायतों की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं?

संकलित तथ्यों को सारिणी संख्या 5.3 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.3

ग्राम पंचायतों की बैठकों में नियमित भाग लेने के ग्राम पंचायतों बैठकों में आधार पर वर्गीकरण

क्रम संख्या	ग्राम पंचायतों की बैठकों में नियमित भाग लेते हैं	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	219	73-00%
2.	नहीं	81	27-00%
	योग	300	100-00%

अध्ययन में सम्मिलित 219 (73.00%) सूचनादाताओं का कथन है कि वह ग्राम पंचायतों की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं तथा शेष 81 (27.00%) सूचनादाता ग्राम पंचायतों की बैठकों में नियमित भाग नहीं लेते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (73.00%) सूचनादाता ग्राम पंचायतों की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं। यह तथ्य उनके उत्तरदायित्व के प्रति समर्पणभाव को प्रकट करता है।

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था और अनुसूचित जनजाति सूचनादाताओं द्वारा ग्राम प्रधानों के कर्तव्यों एवं अधिकारों की जानकारी

पंचायती राज व्यवस्था को आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समुचित अधिकार दिये गये हैं। उन्हें स्वशासन के अधिकार प्रदान किये गये हैं। पंचायती राज के अन्तर्गत ग्रामीण प्रशासन को तीन श्रेणियों - ग्राम स्तर, खण्ड स्तर तथा जिला स्तर में

विभक्त किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत समस्त प्रशासनिक तथा न्यायिक और कल्याण कार्यों को पूरा करती है। खण्ड स्तर पर पंचायतें और जिला स्तर पर जिला परिषद ग्रामीण प्रशासनिक तथा न्यायिक और कल्याण कार्यों को सम्पन्न करती है। पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावशाली रूप से लागू करने हेतु ग्राम प्रधानों के कर्तव्यों एवं अधिकारों को निर्धारित किया गया है। ग्राम प्रधानों को अपने कर्तव्य एवं अधिकारों की पूर्णरूपेण जानकारी होने पर ही वह उसी के अनुरूप अपनी भूमिका निर्वहन कर सकेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार समय-समय पर गोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ आदि का आयोजन भी करती हैं। शोधार्थी ने सूचनादाताओं से ज्ञात किया है कि क्या उन्हें ग्राम प्रधानों के निर्धारित कर्तव्य एवं अधिकारों की विस्तार से जानकारी है?

इस संदर्भ में संकलित आँकड़ों को सारिणी संख्या 5.4 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.4

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था और अनुसूचित जनजाति सूचनादाताओं द्वारा ग्राम प्रधानों के अधिकार एवं कर्तव्यों की विस्तार से जानकारी के आधार पर वर्गीकरण

क्रम संख्या	ग्राम प्रधानों के अधिकार एवं कर्तव्यों की विस्तार से जानकारी है	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	193	64-33%
2.	नहीं	107	35-67%
	योग	300	100-00%

उपरोक्त सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 193 (64.33%) सूचनादाताओं को ग्राम प्रधानों के अधिकार एवं कर्तव्यों की विस्तार से जानकारी है तथा शेष 107 (35.67%) को इनकी विस्तार से जानकारी नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (64.33%) सूचनादाताओं को ग्राम प्रधानों के अधिकार एवं कर्तव्यों की विस्तार से जानकारी है। वह इसी जानकारी के आधार पर ही अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं।

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था और अनुसूचित जनजाति सूचनादाताओं द्वारा कृषि विकास कार्यक्रमों को लागू कराने में भूमिका

वर्तमान समय में भारतवर्ष अनेक जटिल समस्याओं का शिकार बना हुआ है। यह कृषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि में पिछड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण कृषि सम्बन्धी सुविधाओं का न होना और जो सुविधाएँ एवं कार्ययोजनाएँ हैं, उन्हें सही रूप में लागू न करना। साथ ही देश में कुटीर उद्योगों व छोटे उद्योगों की अवस्था भी काफी शोचनीय है। ग्रामीण समाज की समस्याओं के निराकरण करने एवं ग्रामीण समाज का पुनर्निर्माण करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को कृषि विकास कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गयी है। शोधार्थी ने इसी विचार को दृष्टिगत रखते हुए सूचनादाताओं से ज्ञात किया है कि क्या वह ग्रामीण व्यक्तियों को विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रमों का लाभ दिलाने में भूमिका निभाते हैं?

इस संदर्भ में संकलित तथ्यों को सारिणी संख्या 5.5 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.5

कृषि विकास कार्यक्रमों को लागू कराने में भूमिका के आधार पर वर्गीकरण

क्रम संख्या	कृषि विकास कार्यक्रम	लाभ दिलाने में भूमिका निभायी है		योग
		हाँ	नहीं	
1-	उन्नत बीज	241	59	300
		80-33%	19-67%	100-00%
2-	रासायनिक उर्वरक	207	93	300
		69-00%	31-00%	100-00%
3-	कीटनाशक दवाएं	237	63	300
		79-00%	21-00%	100-00%
4-	नए कृषि यन्त्र	191	109	300
		63-67%	36-33%	100-00%
5-	कृषि आधारित कुटीर उद्योग	61	239	300
		20-33%	79-67%	100-00%

उपरोक्त सारिणी की विवेचना से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 24 (80.33%) सूचनादाताओं ने ग्रामीण क्षेत्रीय व्यक्तियों को उन्नतशील बीज दिलाने में मदद की है तथा शेष 59 (19.67%) ने ऐसा नहीं किया है। 207 (69.00%) सूचनादाताओं ने क्षेत्रीय ग्रामीण आदिवासी व्यक्तियों को रासायनिक उर्वरक दिलाने में आवश्यक सहायता की है तथा शेष 93 (31.00%) व्यक्तियों ने ऐसा नहीं किया है। 237 (79.00%) सूचनादाताओं ने क्षेत्रीय ग्रामीण आदिवासी व्यक्तियों को कीटनाशक दवायें दिलाने में आवश्यक सहायता की है तथा शेष 63

(21.00%) ने ऐसा नहीं किया है। 191 (63.67%) सूचनादाताओं ने क्षेत्रीय ग्रामीण आदिवासी व्यक्तियों को नये कृषि यंत्र दिलाने में आवश्यक मदद की है तथा शेष 109 (36.33%) ने ऐसा नहीं किया है। 61 (20.33%) सूचनादाताओं ने कृषि आधारित कुटीर उद्योग को खुलवाने में आवश्यक मदद की है तथा शेष 239 (79.67%) सूचनादाताओं ने इस संदर्भ में क्षेत्रीय व्यक्तियों की मदद नहीं की है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश सूचनादाताओं ने क्षेत्रीय ग्रामीणों को उन्नतशील बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाएँ, नये कृषि यंत्र आदि का लाभ प्रदान कराने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। अतः कहा जा सकता है कि कृषि विकास कार्यक्रमों का ग्रामीण व्यक्तियों को लाभ दिलाने में ग्राम प्रधानों की भूमिका सराहनीय है।

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजाति सूचनादाताओं द्वारा पशु सुधार कार्यक्रमों को लागू कराने में भूमिका

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। परम्परागत कृषि कार्य में बैलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान समय में पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। गाय, भैंस, बकरी आदि पशुओं के पालने से नकद धनराशि प्राप्त होती है जो कि ग्रामीण व्यक्तियों की आर्थिक मदद करने में अहम भूमिका निभाती है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशु सुधार के अनेकों कार्यक्रमों को संचालित किया है जैसे - पशु चिकित्सालय, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, पशु आहार की व्यवस्था आदि है। ग्राम प्रधान इन पशु सुधार कार्यक्रमों को संचालित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। शोधार्थी ने सूचनादाताओं से ज्ञात किया है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्रों में विभिन्न पशु सुधार कार्यक्रमों को लागू कराने में भूमिका निभाई है?

अध्ययन द्वारा संकलित आँकड़ों को सारिणी संख्या 5.6 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.6

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजाति सूचनादाताओं द्वारा पशु सुधार कार्यक्रमों को लागू करवाने में भूमिका के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	पशु सुधार कार्यक्रम	लाभ दिलाने में भूमिका		योग
		हाँ	नहीं	
1-	पशु चिकित्सा	187	113	300
		62.33%	37.67%	100.00%
2-	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	159	141	300
		53.00%	47.00%	100.00%
3-	पशु आहार	196	104	300
		65.33%	34.67%	100.00%

उपरोक्त सारिणी की विवेचना से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 187 (62.33%) सूचनादाताओं ने क्षेत्रीय ग्रामीण व्यक्तियों को पशु चिकित्सा का लाभ दिलाने में आवश्यक मदद की है तथा शेष 113 (37.67%) सूचनादाताओं ने ऐसा नहीं किया है। 159 (53.00%) सूचनादाताओं ने कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना करवाने एवं उसमें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में वांछित सहयोग प्रदान किया है तथा शेष 141 (47.00%) सूचनादाताओं ने इस कार्य में कोई भी सहयोग नहीं दिया है। 196 (65.33%) सूचनादाताओं ने पशु आहार ग्रामीण व्यक्तियों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने में आवश्यक मदद की है तथा शेष 104 (34.67%) व्यक्तियों ने इस संदर्भ में कोई भी सहयोग नहीं दिया है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है

कि अधिकांश सूचनादाताओं ने विभिन्न पशु सुधार कार्यक्रमों जैसे - पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, पशु आहार आदि का क्षेत्रीय ग्रामीण व्यक्तियों को लाभ दिलाने में आवश्यक सहयोग प्रदान कर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसी के परिणामस्वरूप पशुओं के स्वास्थ्य की दशाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू कार्यक्रम कराने में भूमिका किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए उस राष्ट्र के नागरिकों का स्वस्थ होना आवश्यक है। किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों की शक्ति तथा देश की उत्पादन क्षमता का मापदण्ड स्वास्थ्य होता है। राष्ट्र के उद्योगों तथा कृषि की उत्पादन क्षमता जनसंख्या पर निर्भर करती है। केवल रोगों की अनुपस्थिति का ही नाम स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के प्राकृतिक तथा सामाजिक बाह्य वातावरण का समन्वय है और प्राणीमात्र के शारीरिक तथा मानसिक सामर्थ्य के अनुरूप विकास की स्थिति है। ग्रामीण जनसंख्या को स्वास्थ्य हेतु उपचार की सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएँ पहुँचाने पर विशेष बल दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आम जनता के लिए रोगों की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास की व्यवस्था वाले प्रावधानों पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण व्यक्तियों को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्चा का दृष्टिकोण अपनाते हुए लोगों के स्वास्थ्य और उपचार की गतिविधियों में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाय। उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजातियों सूचनादाताओं द्वारा अनुसूचित जनजातियों में शोधार्थी ने अध्ययन में सम्मिलित सूचनादाताओं से ज्ञात किया है कि क्या उनकी विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का ग्रामीण व्यक्तियों को लाभ दिलाने में भूमिका रही है?

इस संदर्भ में संकलित आँकड़ों को सारिणी संख्या 5.7 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.7

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजाति सूचनादाताओं द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू कराने में भूमिका के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	स्वास्थ्य कार्यक्रम	लाभ दिलाने में भूमिका		योग
		हाँ	नहीं	
1-	पौष्टिक आहार	233	67	300
		77.67%	22.33%	100%
2-	टीकाकरण	271	29	300
		90.33%	9.67%	100%
3-	प्रशिक्षित दाइयाँ	210	90	300
		70.00%	30.00%	100%
4-	आंगनबाड़ी	265	35	300
		88.33%	11.67%	100%
5-	शौचालय	161	139	300
		53.67%	46.33%	100%

उपरोक्त सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 233 (77.67%) सूचनादाताओं ने पौष्टिक आहार कार्यक्रम को लागू करने में भूमिका निभाई है तथा शेष 67 (22.33%) ने इस संदर्भ में कोई भी भूमिका नहीं निभाई है। 271 (90.33%) आदिवासी सूचनादाताओं ने टीकाकरण कार्यक्रम को ग्रामीण अदिवासी क्षेत्र में लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा शेष 29 (9.67%) ने इस संदर्भ में कोई भूमिका नहीं निभाई है। 210

(70.00%) सूचनादाताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षित दाइयों की सेवाएँ उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया है तथा शेष 90 (30.00%) ने इस संदर्भ में कोई सहयोग नहीं दिया है। 265 (88.33%) सूचनादाताओं ने आंगनबाड़ी कार्यक्रम को क्षेत्र में लागू कराने में सहयोग प्रदान किया है तथा शेष 35 (11.67%) ने इस संदर्भ में कोई कार्य नहीं किया है। 161 (53.67%) आदिवासी सूचनादाताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण कार्यक्रम को लागू कराया है तथा शेष 139 (46.33%) ने इस संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश सूचनादाताओं ने पौष्टिक आहार, टीकाकरण, प्रशिक्षित दाइयों की सेवाएँ उपलब्ध कराना, आँगनबाड़ी, शौचालय निर्माण आदि स्वास्थ्य कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्र में लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हीं सकारात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित लाभ मिल रहा है।

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजाति सूचनादाताओं द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यक्रमों को में भूमिका

परम्परागत भारतीय समाज में अनेक जातियाँ ऐसी थीं, जिनकी समाज में स्थिति अत्यन्त निम्न ही नहीं थी, वरन् वह विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि नियोग्यताओं से भी ग्रसित थीं। इन्हें विभिन्न नामों - 'अंत्यज', 'अस्पृश्य', 'दलित', 'हरिजन' आदि नामों से सम्बोधित किया जाता रहा है। स्वतंत्र भारत के संविधान में इन जातियों की विभिन्न नियोग्यताओं को दूर करने एवं उन्हें मानवीय अधिकार दिलाने हेतु अनेक प्रावधान किये गये हैं। साथ ही इन जातियों को अनुसूचित जाति के नाम से सम्बोधित करने की वैधानिक मान्यता भी प्रदान की गयी है। स्वतंत्र भारत के संविधान में अनुसूचित

जाति के व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु जो प्रावधान किये गये हैं, उनमें से प्रमुख प्रावधान निम्नवत् है -

1. 'अस्पृश्यता' का अन्त और किसी भी रूप में उसके आचरण को निषिद्ध करना (अनुच्छेद 17)
2. शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी उनके हितों की उन्नति तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण (अनुच्छेद 46)
3. हिन्दुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों के लिए खोलना (अनुच्छेद 25)
4. दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों आदि के उपयोग के बारे में किसी भी नियोग्यता, दायित्व निर्बन्धन या शर्त का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)
5. कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार (अनुच्छेद 19)
6. राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश का अधिकार (अनुच्छेद 29)
7. सार्वजनिक सेवाओं में उनकी नियुक्ति के दावे तथा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की स्थिति में संरक्षण का शासन का दायित्व (अनुच्छेद 16 तथा 335)
8. राज्य में उनके हितों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए अलग विभाग तथा सलाहकार परिषद का गठन तथा केन्द्र में इसी हेतु विशेष अधिकारी की नियुक्ति (अनुच्छेद 164, 338 तथा पंचम अनुसूची)

9. लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं में विशेष प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण की व्यवस्था (अनुच्छेद 330, 332 तथा 334)
10. अनुसूचित जाति क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबन्ध (अनुच्छेद 224 तथा पंचम एवं षष्ठ अनुसूची)।

इन संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त सरकार ने “अस्पृश्यता अपराध अधिनियम”, 1955, “नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम”, 1976, “अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम”, 1989 पारित किया है। साथ ही संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जातियों को स्थानीय निकायों एवं पंचायतों में विशेष संरक्षण देने का प्रावधान भी किया है। शोधार्थी ने उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजातियों सूचनादाताओं द्वारा अनुसूचित जनजातियों सूचनादाताओं से ज्ञात किया है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में अनुसूचित जाति कल्याण कार्यक्रमों का लाभ ग्रामीण व्यक्तियों को दिलाने में भूमिका निभाई है?

संकलित आँकड़ों को सारिणी संख्या 5.8 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.8

अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यक्रमो को लागू कराने मे भूमिका के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	अनुसूचित जाति कल्याण कार्यक्रम	लाभ दिलाने मे भूमिका		योग
		हाँ	नहीं	
1-	छात्रवृत्ति	289	11	300
		96.33%	3.67%	100%
2-	रोजगार हेतु अनुदान / ऋण	241	59	300
		80.33%	19.67%	100%
3-	आवास निर्माण	183	117	300
		61.00%	39.00%	100%
4-	सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ	274	26	300
		91.33%	8.67%	100%

सारिणी संख्या 5.8 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 289 (96.33%) सूचनादाताओं ने ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को छात्रवृत्ति दिलाने में भूमिका निभाई है तथा शेष 11 (3.67%) ने इस संदर्भ में भूमिका नहीं निभाई है। 241 (80.33%) सूचनादाताओं ने क्षेत्रीय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार हेतु अनुदान/ऋण दिलाने में वांछित सहयोग प्रदान किया है तथा शेष 59 (19.67%) ने इस संदर्भ में कोई सहयोग नहीं किया है। 183 (61.00%) सूचनादाताओं ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु वांछित

सहयोग प्रदान किया है तथा शेष 117 (39.00%) ने इस दिशा में कोई भी सहयोग नहीं दिया है। 274 (91.33%) सूचनादाताओं ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिलाने में वांछित भूमिका का निर्वहन किया है तथा शेष 26 (8.67%) ने इस संदर्भ में कोई भी भूमिका नहीं निभाई है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश सूचनादाताओं ने क्षेत्रीय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों - छात्रवृत्ति, रोजगार हेतु अनुदान/ ऋण दिलाने, आवास निर्माण, सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिलाने आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनके उत्थान हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ मिल पा रहा है।

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजाति सूचनादाताओं द्वारा अनुसूचित जनजातियों में निर्बल वर्गों के कल्याण कार्यक्रम में भूमिका

भारत एक विशाल देश है। यहाँ हर स्तर के व्यक्ति निवास करते हैं। भारतीय समाज के संदर्भ में निर्बल वर्ग के अर्थ को अनेक आधारों पर देखा जा सकता है। सामुदायिक आधार पर एक निर्बल वर्ग वह है जिसे समुदाय में कोई अधिकार न मिलने के कारण शक्तिहीन समझा जाता है। एक विशेष समुदाय में जिस वर्ग के लोगों की संख्या बहुत कम होती है, यह वर्ग प्रायः निर्बल वर्ग के रूप में बदल जाता है। 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्ति भी निर्बल वर्ग की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इस आयु में उनकी इन्द्रियाँ कमजोर हो जाती हैं तथा व्यक्ति की क्षमताएँ घट जाती हैं। इस सबका परिणाम यह होता है कि उनके समक्ष अनेक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण के लिए अनेक योजनाएँ एवं

कार्यक्रम संचालित किये हैं। भारतवर्ष में वृद्धों के प्रति राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य समाज में इनको सम्मानपूर्वक स्थान दिलाना है। इन वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य रक्षा एवं पोषण, आवास, कल्याण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण समाज में भी निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के कल्याणार्थ अनेक कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। सूचनादाताओं से ज्ञात किया गया है कि क्या उन्होंने अपने ग्रामीण क्षेत्र के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को कल्याण कार्यक्रमों का लाभ दिलाने में भूमिका निभाई है?

संकलित आँकड़ों को सारिणी संख्या 5.9 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.9

निर्बल आदिवासियों के कल्याण कार्यक्रमों को लागू कराने में भूमिका के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	निर्बल वर्ग कल्याण कार्यक्रम	लाभ दिलाने में भूमिका		योग
		हाँ	नहीं	
1-	वृद्धावस्था पेंशन	267	33	300
		89.00%	11.00%	100%
2-	विधवा पेंशन	251	49	300
		83.67%	16.33%	100%
3-	विकलांग कल्याण कार्यक्रम	209	91	300
		69.67%	30.33%	100%

उपरोक्त सारिणी की विवेचना से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित सूचनादाताओं में से 267 (89.00%) सूचनादाताओं ने वृद्धावस्था पेंशन क्षेत्रीय ग्रामीण व्यक्तियों को दिलाने में आवश्यक भूमिका निभाई है तथा शेष 33 (11.00%) सूचनादाताओं ने ऐसा नहीं किया है।

251 (83.67%) सूचनादाताओं ने क्षेत्रीय विधवाओं को विधवा पेंशन दिलाने में आवश्यक भूमिका निर्वाह की है तथा शेष 49 (16.33%) सूचनादाताओं ने ऐसा नहीं किया है। 209 (69.67%) सूचनादाताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में विकलांग कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू कराने में आवश्यक भूमिका का निर्वहन किया है तथा शेष 91 (30.33%) ने ऐसा नहीं किया है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश सूचनादाताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सभी तथ्य सूचनादाताओं के निर्बल वर्गों के कल्याण कार्यक्रमों को क्षेत्र में लागू कराने में सकारात्मक भूमिका के परिचायक हैं।

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजाति सूचनादाताओं द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिये वैकैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमों को लागू कराने में भूमिका

ऊर्जा का मानव के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों का निरन्तर दोहन होने से यह अनुमान सहज लगाया जा सकता है कि इसी प्रकार इन स्रोतों का निरन्तर दोहन किया गया तो यह स्रोत समाप्त हो जायेंगे। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वैज्ञानिकों ने ऊर्जा के नये स्रोतों का आविष्कार किया है। ऊर्जा के इन नये स्रोतों में गोबर गैस तथा सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण है। इन स्रोतों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके उपयोग करने से ग्रामीण संसाधनों गोबर आदि का सदुपयोग हो सकेगा और ग्रामीण व्यक्तियों को ऊर्जा बहुत कम लागत में मिल सकेगी। सरकार ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लान्ट एवं सौर ऊर्जा प्लान्टों को लगाने के लिये विशेष प्रकार का प्रशिक्षण, अनुदान आदि प्रदान करने की व्यवस्था की है। साथ ही ग्राम पंचायतों को इस कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कराने के

लिए विशेष प्रकार का दायित्व सौंपा है। शोधार्थी ने उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजातियों सूचनादाताओं से ज्ञात किया है कि क्या उन्होंने वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम को ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में लागू कराने में भूमिका निभाई है?

इस संदर्भ में संकलित आँकड़ों को सारिणी संख्या 5.10 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.10

वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम को लागू कराने में भूमिका के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम	लाभ दिलाने में भूमिका		योग
		हाँ	नहीं	
1-	गोबर गैस	53	247	300
		17.67%	82.33%	100%
2-	सौर ऊर्जा	26	274	300
		8.67%	91.33%	100%

सारिणी संख्या 5.10 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 53 (17.67%) सूचनादाताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में गोबर गैस प्लान्ट लगवाने में वांछित भूमिका निभाई है तथा शेष 247 (82.33%) ने इस संदर्भ में वांछित भूमिका नहीं निभाई है। 26 (8.67%) सूचनादाताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा कार्यक्रम को लागू करवाने में भूमिका निभाई है तथा शेष 274 (91.33%) ने इस संदर्भ में कोई भी भूमिका नहीं निभाई है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश सूचनादाताओं ने गोबर गैस तथा सौर ऊर्जा कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्र में लागू कराने में भूमिका नहीं निभाई है, क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण व्यक्ति वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम - गोबर गैस, सौर ऊर्जा को सरकार द्वारा समुचित साधन एवं आर्थिक अनुदान प्रदान करने के

उपरान्त भी लगाने में रुचि नहीं लेता है। इसी के परिणामस्वरूप उनके सतत् प्रयास करने के उपरान्त भी वह वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम को क्षेत्र में लागू कराने में असफल रहे हैं।

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजाति सूचनादाताओं द्वारा अनुसूचित जनजातियों के ग्राम्य विकास के अन्य कार्यक्रमों में भूमिका

ग्रामीण समाज का पुनर्निर्माण होने पर ही गाँवों का सर्वांगीण विकास होना सम्भव है। गाँवों का विकास करवाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें ही वह माध्यम हैं, जिनके द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं के निर्माण के सुझाव दिये जाते हैं तथा उन योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। इस संदर्भ में डेबर ने भी लिखा है कि, “पंचायतों का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि गाँव पंचायतें छोटे से छोटे प्रत्येक स्थान पर ग्रामीणों को जनतंत्र की शिक्षा देने तथा उन्हें अपना विकास स्वयं करने का प्रशिक्षण देने वाला सबसे प्रभावशाली माध्यम है। इनमें ग्रामीण गणतंत्र के सभी गुण विद्यमान हैं।” शोधार्थी ने उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजातियों सूचनादाताओं द्वारा से ज्ञात किया है कि क्या उन्होंने आदिवासी ग्राम्य विकास के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे- सामाजिक-वानिकी, परिवार कल्याण कार्यक्रम, प्रौढ़ साक्षरता, सम्पर्क मार्ग निर्माण, विद्युतीकरण, मनरेगा में रोजगार दिलाना, बैंकों की शाखाएँ खुलवाना आदि को लागू कराने में भूमिका निभाई है?

इस संदर्भ में संकलित तथ्यों को सारिणी संख्या 5.11 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.11

आदिवासी ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को पंचायत द्वारा लागू कराने में भूमिका के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रम	ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रम लागू कराने में भूमिका		योग
		हाँ	नहीं	
1-	सामाजिक वानिकी	277 92.33%	23 7.67%	300 100%
2-	परिवार कल्याण कार्यक्रम	268 89.33%	32 10.67%	300 100%
3-	प्रौढ़ साक्षरता	167 55.67%	133 44.33%	300 100%
4-	सम्पर्क मार्ग निर्माण	281 93.67%	19 6.33%	300 100%
5-	विद्युतीकरण	244 81.33%	56 18.67%	300 100%
6-	मनरेगा में रोजगार दिलाना	239 79.67%	61 20.33%	300 100%
7-	बैंकों की शाखाओं को खुलवाना	173 57.67%	127 42.33%	300 100%

सारिणी संख्या 5.11 की विवेचना से स्पष्ट है कि अध्ययन में सम्मिलित उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजातियों सूचनादाताओं द्वारा अनुसूचित जनजातियों ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रमों में भूमिका में से 277 (92.33%) सूचनादाताओं ने ग्रामीण समाज में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम सम्पन्न कराने में भूमिका निभाई है तथा शेष 23 (7.67%) ने इस संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया है। 268 (89.33%) सूचनादाताओं ने परिवार कल्याण कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्र में संचालित कराने में भूमिका निभाई है तथा शेष 32 (10.67%) ने इस संदर्भ में भूमिका नहीं निभाई है। 167 (55.67%) सूचनादाताओं ने प्रौढ़ साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक प्रयास किया है तथा शेष 133 (44.33%) ने इस संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया है। 281 (93.67%) सूचनादाताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने हेतु वांछित प्रयास किये हैं तथा शेष 19 (6.33%) ने इस संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया है। 244 (81.33%) सूचनादाताओं ने ग्रामीण समाज में विद्युतीकरण कराने हेतु आवश्यक प्रयास किये हैं तथा शेष 56 (18.67%) ने इस संदर्भ में कोई भी प्रयास नहीं किया है। 239 (79.67%) सूचनादाताओं ने ग्रामीण व्यक्तियों को मनरेगा योजना में रोजगार दिलाने हेतु वांछित प्रयास किये हैं तथा शेष 61 (20.33%) ने इस संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया है। 173 (57.67%) सूचनादाताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में बैंक की शाखाएँ खुलवाने हेतु आवश्यक प्रयास किये हैं तथा शेष 127 (42.33%) ने इस संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश सूचनादाताओं ने ग्राम्य विकास के विभिन्न कार्यक्रमों यथा - सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण कार्यक्रम, प्रौढ़ साक्षरता, सम्पर्क मार्ग निर्माण, विद्युतीकरण, मनरेगा में रोजगार दिलाना, बैंकों की शाखाएँ खुलवाना आदि को मूर्त रूप में लागू कराने में वांछित भूमिका का

निर्वाह किया है। इन्हीं सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में विविध कार्यक्रम प्रारम्भ हो सके हैं।

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजाति सूचनादाताओं द्वारा अनुसूचित जनजातियों के ग्राम्य विकास एवं अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता का औसत प्रतिशत

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजातियों सूचनादाताओं द्वारा अनुसूचित जनजातियों ग्राम्य विकास के अन्य कार्यक्रमों में भूमिका शोधार्थी ने सूचनादाताओं द्वारा विभिन्न विकास कार्यों को सम्पन्न कराने में जो भूमिका निभाई है उसका औसत प्रतिशत भी ज्ञात किया है।

इस औसत प्रतिशत को सारिणी संख्या 5.12 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.12

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजाति सूचनादाताओं द्वारा अनुसूचित जनजातियों के ग्राम्य विकास एवं अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता का औसत प्रतिशत

क्र.सं.	विकास कार्यक्रमों का विवरण	लागू कराने में भूमिका का प्रतिशत
1-	कीटनाशक दवाइयां	79-00%
2-	नये कृषि यंत्र	63-67%
3-	कृषि आधारित कुटीर उद्योग	20-33%
4-	पशु चिकित्सा	62-33%

क्र.सं.	विकास कार्यक्रमों का विवरण	लागू कराने में भूमिका का प्रतिशत
5-	कृत्रिम गर्भाधान केंद्र	53-00%
6-	पशु आहार	65-33%
7-	पौष्टिक आहार	77-67%
8-	टीकाकरण	90-33%
9-	प्रशिक्षित दाइयाँ	70-00%
10-	आंगनबाड़ी	88-33%
11-	शौचालय	53-67%
12-	छात्रवृत्ति	96-33%
13-	रोजगार हेतु अनुदान/ ऋण	80-33%
14-	आवास निर्माण	61-00%
15-	सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ	91-33%
16-	वृद्धावस्था पेंशन	89-00%
17-	विधवा पेंशन	83-67%
18-	विकलांग कल्याण कार्यक्रम	69-67%
19-	गोबर गैस	17-67%
20-	सौर ऊर्जा	8-67%
21-	सामाजिक वानिकी	92-33%
22-	परिवार कल्याण कार्यक्रम	89-33%
23-	प्रौढ़ साक्षरता	55-67%
24-	सम्पर्क मार्ग निर्माण	93-67%
25-	विद्युतीकरण	81-33%
26-	मनरेगा में रोजगार दिलाना	79-67%
27-	बैंकों की शाखा खुलवाना	57-67%
28-	लाभ दिलाने में भूमिका का कुल	20-33%
	कुल प्रतिशत योग	2020.33

औसत प्रतिशत मान = $2020.33/29 = 69.67\%$

उपरोक्त सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सूचनादाताओं द्वारा विकास कार्यों का ग्रामीण आदिवासी व्यक्तियों को लाभ दिलाने का कुल प्रतिशत योग 2020.33 आया है। इस कुल प्रतिशत योग में कुल 29 विकास कार्य योजनाओं से विभक्त करने पर मान 69.67% प्राप्त हुआ है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अध्ययन में सम्मिलित ग्राम प्रधानों ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजनाओं को संचालित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजाति सूचनादाताओं द्वारा आदिवासी ग्राम पंचायत क्षेत्र की समस्याएँ

विभिन्न समाज और राजनीतिक वैज्ञानिकों जिनमें एक बी.एस. खन्ना है आदि ने अपने अध्ययनों से स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थाएँ विभिन्न समस्याओं के कारण वांछित लक्ष्यों के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है। जब तक इन समस्याओं का सही परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करके निराकरण नहीं किया जाता है, तब तक इन संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण पुनर्निर्माण का कार्य अधूरा ही रहेगा। पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में दिये गये इस वक्तव्य को दृष्टिगत रखते हुए शोधार्थी ने उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजातियों सूचनादाताओं द्वारा कुल सूचनादाताओं से यह ज्ञात किया है कि उनके आदिवासी ग्राम पंचायत क्षेत्र में कौन-कौन सी समस्याएँ हैं?

इस संदर्भ में संकलित आँकड़ों को सारिणी संख्या 5.13 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.13

आदिवासी ग्रामीण पंचायत क्षेत्र की समस्याओं के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	आदिवासी ग्रामीण पंचायत क्षेत्र की समस्या	संख्या	प्रतिशत
1-	विधवा/वृद्धावस्था पेंशन का समय से न मिलना	147	49-00%
2-	स्कूल एवं अस्पतालों का न होना	96	32-00%
3-	आदिवासी गरीबों को आवास न मिलना	34	11-33%
4-	मनरेगा योजना का सही क्रियावयन न होना	23	7-67%
	योग	300	100-00%

सारिणी संख्या 5.13 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 147 (49.00%) सूचनादाताओं का मानना है कि उनके आदिवासी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मुख्य समस्या विधवा/ वृद्धावस्था पेंशन का समय से न मिलना है। 96 (32.00%) का मानना है कि उनके क्षेत्र की मुख्य समस्या क्षेत्र में स्कूल एवं अस्पतालों का न होना है। 34 (11.33%) सूचनादाताओं का मानना है कि उनके आदिवासी क्षेत्र की प्रमुख समस्या गरीब व्यक्तियों को समय से आवास न मिलना है। 23 (7.67%) का मानना है कि उनके क्षेत्र में मनरेगा योजना का सही रूप में क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (81.00%) सूचनादाताओं का मानना है कि उनके पंचायत क्षेत्र की मुख्य समस्या विधवा/वृद्धावस्था पेंशन का समय से न मिलना, स्कूल एवं अस्पतालों का न होना है। इन्हीं समस्याओं के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण व्यक्ति कठिनाइयों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं।

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था और आदिवासी ग्रामीण पंचायत क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के प्रयास

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था और आदिवासी ग्रामीण पंचायत क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के प्रयास सूचनादाताओं के पंचायत क्षेत्र में विभिन्न समस्यायें व्याप्त हैं। इन सूचनादाताओं ने इन विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिये किस प्रकार प्रयास किया है, इस संदर्भ में तथ्यों का संकलन किया गया है।

संकलित तथ्यों को सारिणी संख्या 5.14 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.14

समस्याओं के निराकरण के प्रयासों के आधार पर वर्गीकरण

क्रम संख्या	समस्याओं के निराकरण के प्रयास	संख्या	प्रतिशत
1-	अधिकारियों से सम्पर्क करके	161	53-67%
2-	क्षेत्रीय विधायक, सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष से सम्पर्क करके	104	34-67%
3-	धरना एवं प्रदर्शन करके	35	11-60%
	योग	300	100-00%

सारिणी संख्या 5.14 की विवेचना से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 161

(53.67%) सूचनादाता ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों से सम्पर्क करते हैं। 104 (34.67%) ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु क्षेत्रीय विधायक, सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष से सम्पर्क करते हैं तथा शेष 35 (11.66%) सूचनादाता ग्रामीण व्यक्तियों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु धरना एवं प्रदर्शन भी

करते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (88.34%) सूचनादाता ग्रामीण व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों, क्षेत्रीय विधायक, सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष से सम्पर्क करते हैं।

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजाति सूचनादाताओं द्वारा आदिवासी ग्राम पंचायत क्षेत्र की समस्याएँ समस्याओं के निराकरण में प्राप्त सफलता का प्रतिशत अध्ययन

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजातियों सूचनादाताओं द्वारा आदिवासी ग्राम पंचायत क्षेत्र की समस्याएँ समस्याओं के निराकरण में प्राप्त सफलता का प्रतिशत अध्ययन में सम्मिलित सूचनादाताओं से यह भी ज्ञात किया गया है कि वह ग्रामीण व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण करने हेतु जो कार्यविधि अपनाते हैं, उनमें उन्हें कितने प्रतिशत सफलता प्राप्त हुयी है?

इस संदर्भ में संकलित आँकड़ों को सारिणी संख्या 5.15 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.15

आदिवासी समस्याओं के निराकरण में प्राप्त सफलता का प्रतिशत के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	कितने प्रतिशत समस्याओं का निराकरण हुआ	संख्या	प्रतिशत
1-	25 प्रतिशत तक	73	24-33%
2-	50 प्रतिशत तक	191	63-67%
3-	75 प्रतिशत तक	34	11-33%
4-	100 प्रतिशत तक	02	0-67%
	योग	300	100-00%

उपरोक्त सारिणी की विवेचना से स्पष्ट हाता है कि 73 (24.33%) सूचनादाताओं का मानना है कि उन्होंने सोनभद्र के आदिवासी क्षेत्रीय ग्रामीण व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण हेतु तो तरीके अपनाये हैं उनके परिणाम स्वरूप उन्हें क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण में 25 प्रतिशत तक सफलता प्राप्त हुयी है। 191 (63.67%) सूचनादाताओं का मानना है कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण में उन्हें 50 प्रतिशत तक सफलता प्राप्त हुयी है। 34 (11.33%) का मानना है कि उनके प्रयासों के फलस्वरूप उन्हें 75 प्रतिशत तक सफलता प्राप्त हुयी है। 02 (0.67%) का मानना है कि इस संदर्भ में उन्हें 100 प्रतिशत तक सफलता प्राप्त हुयी है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (63.67%) सूचनादाताओं का मानना है कि ग्रामीण व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण हेतु जो उन्होंने कार्ययोजना बनायी है, उसी के परिणामस्वरूप उन्हें 50 प्रतिशत तक सफलता प्राप्त हुयी है।

समस्याओं के निराकरण महसूस की गयी कठिनाइयाँ अध्ययन में सम्मिलित सूचनादाताओं ने क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण करने में समय-समय पर अनेक समस्याओं का सामना किया है, जिसके परिणामस्वरूप वह आशातीत रूप में समय से समस्याओं का समाधान नहीं कर सके हैं। सूचनादाताओं ने आदिवासी क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान करते समय किन-किन समस्याओं का सामना किया है उनसे जानकारी प्राप्त की गयी है।

इस संदर्भ में संकलित तथ्यों को सारिणी संख्या 5.16 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.16

समस्याओं के निराकरण में महसूस की गयी कठिनाइयों के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	महसूस की गयी कठिनाइयाँ	संख्या	प्रतिशत
1-	भ्रष्टाचार एवं पक्षपात	181	60-33%
2-	सरकारी अधिकारियों का अपेक्षित सहयोग न मिलना	93	31-00%
3-	क्षेत्रीय जन सहयोग का अभाव	26	8-67%
	योग	300	100-00%

सारिणी संख्या 5.16 की विवेचना से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 181 (60.33%) सूचनादाताओं ने क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण में भ्रष्टाचार एवं पक्षपात को मुख्य समस्या के रूप में महसूस किया है। 93 (31.00%) ने यह महसूस किया है कि सरकारी अधिकारी अपेक्षित सहयोग नहीं देते हैं, जिसके कारण समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है। 26 (8.67%) का मानना है कि क्षेत्रीय जन सहयोग का भी पूर्णतः अभाव है, जिस कारण समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाता है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (60.33%) सूचनादाताओं ने क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण करते समय भ्रष्टाचार एवं पक्षपात को मुख्य समस्या के रूप में महसूस किया है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय समस्याओं का निस्तारण समय से एवं शीघ्र नहीं हो पाता है।

सूचनादाताओं द्वारा आदिवासी क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

आदिवासी क्षेत्र में समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव सूचनादाताओं ने क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण करते समय भ्रष्टाचार एवं पक्षपात को मुख्य समस्याओं के रूप में महसूस किया है।

शोधार्थी ने उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आदिवासी जनजाति लोगो तथा क्षेत्रो की समस्याओ के निदान के लिये सूचनादाताओं से अनौपचारिक वार्तालाप के माध्यम से इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझावों को प्राप्त

किया है। अध्ययन से प्राप्त प्रमुख सुझाव निम्नवत् हैं:-

1. ग्रामीण व्यक्तियों को ग्राम्य विकास कार्यक्रमों का लाभ लेने हेतु भ्रष्टाचार का सामना सरकारी कार्यालयों में करना पड़ता है। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कर्मचारियों की जबावदेही निर्धारित की जानी चाहिये। निर्धारित समय अवधि तक कार्य न करने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जाना चाहिये।
2. पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार रोकने के लिए योजनाबद्ध रूप से सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, प्रशासनिक उपायों को अपनाना चाहिये तथा पंचायत स्तर पर 'सोशल आडिट दल' का गठन किया जाना चाहिये जो भ्रष्टाचार के मामलों में आवश्यक नियंत्रण कर सके।
3. भ्रष्टाचार निवारण हेतु भ्रष्टाचार निवारण विभाग की स्थापना की जाय। इस विभाग द्वारा पंचायत से सम्बन्धित कार्यों की समय-समय पर जाँच की जाय तथा भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कृत्यों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय एवं उन्हें कठोर दण्ड दिया जाय।
4. आदिवासी जातीय आधार पर पक्षपात समाप्त करने के लिये आवश्यक है कि जातीय संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। जातीय आधार पर होने वाली सभाओं एवं बैठकों को पूर्णरूपेण नियंत्रित किया जाना चाहिये।
5. आदिवासी ग्रामीण नेतृत्व आज भी जातिवादी, भाग्यवादी, अन्धविश्वासी है, जिसका मूल कारण अशिक्षा एवं अज्ञानता है। अतः आवश्यक है कि ग्रामीण नेतृत्व को शिक्षित एवं

प्रशिक्षित किया जाय, जिससे कि वह पक्षपात रहित होकर अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकें।

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजातियों व आदिवासी ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था के प्रति मनोवृत्तियाँ

मानव व्यवहार के निर्धारण एवं निर्देशन में मनोवृत्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मनोवृत्तियाँ न केवल हमारे व्यवहारों को प्रभावित करती हैं, अपितु उन्हें एक निश्चित दिशा भी प्रदान करती हैं। मनोवृत्तियों के कारण ही व्यक्तियों में प्रेम-घृणा, रुचि-अरुचि, पसन्द-नापसन्द, सहयोग-संघर्ष आदि के भाव पाये जाते हैं। किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति को जानकर उसके वर्तमान के व्यवहार को सरलता से समझा जा सकता है। इस संदर्भ में कि, “मनोवृत्ति व्यक्ति के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है, उसके प्रतिदिन के प्रत्यक्षीकरणों एवं कार्यों को अर्थप्रदान करती है व उसके विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु चेष्टाओं में सहायता करती है।” स्मिथ ने भी लिखा है कि मनोवृत्तियों का एक महत्वपूर्ण कार्य आन्तरिक समस्याओं का बाह्यीकरण करना है अर्थात् इनकी सहायता से व्यक्ति अपनी कुण्ठाओं, निराशाओं, अंतर्द्वंद्व, घृणा को दूसरे व्यक्तियों एवं समूहों की ओर मोड़ सकता है। मनोवृत्ति का सम्बन्ध व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने वाली प्रवृत्ति से होता है, स्वयं व्यवहार से नहीं। इसलिए मनोवृत्तियों का मापन कठिन कार्य है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने मनोवृत्तियों के मापन हेतु अनेक पैमानों को विकसित किया है। शोधार्थी ने उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजातियों आदिवासी ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था के प्रति मनोवृत्तियाँ में सूचनादाताओं से पंचायती राज व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों

के संदर्भ में उनकी मनोवृत्तियों को भी संकलित किया है। अध्ययन के द्वारा संकलित आँकड़ों को विभिन्न सारिणियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

ग्राम पंचायतों को प्रदत्त अधिकार

पंचायती राज व्यवस्था को आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समुचित अधिकार प्रदान किये गये हैं। उनको स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, उद्योग धन्धे, मानव निर्माण, प्रशासन एवं न्याय से सम्बन्धित विभिन्न अधिकार दिये गये हैं। ग्राम पंचायतें, ग्राम स्तर पर समस्त प्रशासनिक तथा न्यायिक और कल्याण कार्यों को पूरा करती है। शोधार्थी ने सूचनादाताओं से ज्ञात किया है कि क्या वर्तमान समय में ग्राम पंचायतों को जो अधिकार प्रदान किये गये हैं वे पर्याप्त हैं?

इस संदर्भ में संकलित आँकड़ों को सारिणी संख्या 5.17 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.17

ग्राम पंचायतों को प्रदत्त अधिकारों के प्रति मनोवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	प्रदत्त अधिकारों के प्रति मनोवृत्ति	संख्या	प्रतिशत
1-	पर्याप्त हैं	233	77-67%
2-	पर्याप्त नहीं है	67	22-33%
	योग	300	100-00%

उपरोक्त सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 233 (77.67%) सूचनादाता वर्तमान समय में ग्राम पंचायतों को प्रदत्त अधिकारों को पर्याप्त मानते हैं तथा शेष 67 (22.33%) इन्हें पर्याप्त नहीं मानते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (77.67%) सूचनादाता वर्तमान समय में ग्राम पंचायतों को प्रदत्त अधिकारों को पर्याप्त मानते हैं तथा शेष 67 (22.33%) इन्हें पर्याप्त नहीं मानते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (77.67%) सूचनादाता वर्तमान समय में पंचायतों को प्रदत्त अधिकारों को पर्याप्त मानते हैं। उनकी मान्यता है कि संविधान के 73वें संशोधन के उपरान्त पंचायतों को विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं। इस संशोधन के परिणाम स्वरूप पंचायतों के नियमित चुनाव होने लगे हैं, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं को आरक्षण मिलने लगा है, साथ ही पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के भी अनेक प्रावधान किये गये हैं।

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जनजातिय महिलाओ का ग्राम पंचायत क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से लाभ

भारतवर्ष में संविधान के 73वाँ संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस संशोधन के माध्यम से उत्तरप्रदेश में पंचायतों की कुल सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी हैं इसके माध्यम से महिलाओं को राजनैतिक व सामाजिक रूप से सशक्त होने एवं समाज में अपनी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर मिलने लगे हैं। शोधार्थी ने उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जनजातिय महिलाओ का ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से लाभ सूचनादाताओं से यह ज्ञात किया है कि क्या पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से लाभ हुआ है? यदि हाँ तो किन-किन क्षेत्रों में हुआ।

अध्ययन द्वारा संकलित तथ्यों को सारिणी संख्या 5.18 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.18

ग्राम पंचायतो मे महिलाओं की भागीदारी से होने वाले लाभो के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	पंचायतो मे महिलाओं की भागीदारी से लाभ	संख्या	प्रतिशत
1-	नेतृत्व करने एवं राजनैतिक प्रक्रिया में सहभागिता करने का अवसर मिला है	157	52-33%
2-	आत्म-विश्वास एवं आत्म-सम्मान बढ़ा	111	37-00%
3-	शोषण एवं अत्याचारों पर नियंत्रण	21	7-00%
4-	कोई लाभ नहीं हुआ है	11	3-67%
	योग	300	100-00%
	योग	300	100-00%

उपरोक्त सारिणी की विवेचना से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 157 (52.33%) सूचनादाताओं का मत है कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से उन्हें नेतृत्व करने एवं राजनैतिक प्रक्रिया में सहभागिता करने का अवसर मिला है। 111 (37.00%) का मानना है कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से उनमें आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान बढ़ा है। 21 (7.00%) सूचनादाताओं का मानना है कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से उन पर होने वाले शोषण एवं अत्याचारों पर नियंत्रण लगा है। शेष 11 (3.67%) सूचनादाताओं का मानना है कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (89.33%) सूचनादाताओं का मानना है कि उत्तरप्रदेश में 33

प्रतिशत पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने से उन्हें नेतृत्व करने एवं राजनैतिक प्रक्रिया में सहभागिता करने का अवसर मिला है। साथ ही उनमें आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना भी बढ़ी है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने से उनकी राजनैतिक सहभागिता ही नहीं बढ़ी है, वरन् नेतृत्व के नवीन प्रतिमान भी विकसित हुए हैं।

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की प्रभावशाली भागीदारी बढ़ाने हेतु सुझाव

शोधार्थी ने सूचनादाताओं से अनौपचारिक वार्तालाप के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की प्रभावशाली भागीदारी बढ़ाने हेतु सुझाव को संकलित किया है। सूचनादाताओं से वार्तालाप द्वारा जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, वे निम्नवत् हैं:-

ग्राम पंचायतों की सफलता का प्रथम चरण जागरूकता होना है। अध्ययनों और शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रायः महिलाओं को अपने कर्तव्यों, अधिकार का ज्ञान नहीं होता है। अतः महिलाओं को उनके अधिकार और कर्तव्यों के संदर्भ में प्रशिक्षण देना आवश्यक है। महिला जन प्रतिनिधियों के लिए ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र लगाकर इन्हें विकास के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जाय। उन्हें यह प्रशिक्षण उनकी ही भाषा में दिया जाना चाहिये, जिससे कि वे सहजता से समझ सकें साथ ही यह प्रशिक्षण कार्य छोटे-छोटे समूहों में देना चाहिये, जिससे कि प्रत्येक महिला पर प्रशिक्षक उचित समय दे सके। प्रशिक्षण देने के लिये स्थानीय महिला प्रशिक्षिका को ही रखा जाय, जिससे कि वह जन प्रतिनिधियों की सुविधानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम को निर्धारित कर ठीक प्रकार से लागू कर सके। वर्तमान समय में पंचायतों में निर्वाचित अधिकांश महिला जन प्रतिनिधि अशिक्षित हैं। अतः महिला

साक्षरता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा के आधुनिक तरीकों जैसे - फिल्म, कम्प्यूटर आदि के माध्यम से इस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिये जिससे उनमें पढ़ने के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। साथ ही पंचायत चुनाव लड़ने वाली महिला के लिये एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अवश्य रूप से निर्धारित की जानी चाहिये, जिससे चुनाव में विजयी होने के पश्चात वे पंचायत की कार्यप्रणाली को उचित रूप से समझकर उसमें अपना योगदान कर सके। ग्राम पंचायतों को दलबन्दी तथा राजनीतिक पार्टीबन्दी से अलग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायत के लिए किसी भी महिला प्रत्याशी को एक राजनैतिक दल के प्रत्याशी के रूप में खड़ा न किया जाय। साथ ही चुनाव टालने के लिए उचित होगा कि ग्राम की वृद्ध एवं सम्मानित महिला को ही ग्राम प्रधान के पद पर सरकार द्वारा मनोनीत किया जाय। चुनाव लड़ने वाली महिला को निर्वाचन क्षेत्र का, उसकी विभिन्न समस्याओं आदि का पर्याप्त मात्रा में ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान उसे चुनाव में विजयी होने के उपरान्त क्षेत्र में कार्य करने में बहुत सहायक होगा। अतः यह प्रावधान किया जाय कि पंचायतों का चुनाव लड़ने वाली महिला प्रत्याशी को उस ग्रामसभा का कम से कम पाँच वर्ष से स्थायी निवासी अवश्य होना चाहिए। ऐसे आदिवासी परिवारों की पहचान की जानी चाहिए, जिनकी मुखिया महिलाएँ हैं, जो पंचायत सदस्य हैं, जिनके पास रोजगार, आवास, स्वच्छ जल आदि की व्यवस्था नहीं है। ऐसी महिलाओं को शासन द्वारा आवास दिया जाना चाहिए, लघु उद्योगों हेतु उन्हें 'महिला विकास कोष' से ऋण दिया जाना चाहिए। इन महिलाओं को लघु उद्योग धन्धों में लगाने से उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ पारिवारिक रोजगार एवं आय में वृद्धि के अधिक अवसर मिलेंगे। महिला जनप्रतिनिधियों को ऐसे कानूनों की अवश्य रूप से जानकारी दी जानी चाहिए, जो उन्हें सामाजिक एवं वैधानिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक हों। ऐसे

अधिनियमों में प्रमुख रूप से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956,

बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1986,

भारतीय दण्ड संहिता, 1872,

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948,

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923,

बन्धुआ मजदूरी अधिनियम, 1975,

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 आदि हैं।

इन अधिनियमों की जनजातीय महिला जन प्रतिनिधियों को जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए। विभिन्न अनुसन्धानों से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि साक्षर भी नहीं हैं। साक्षर न होने के कारण वह बैठकों की कार्यवाही पर बिना देखे अंगूठा लगा देती हैं। यही नहीं बिना बैठकों में भाग लिए भी कार्यवाही पर अंगूठा लगा देती हैं। उनका यह व्यवहार पंचायत अधिनियम, 1993 की धारा 40 के अन्तर्गत गलत है। सामान्यतः इस बात का ज्ञान जनजाति महिला जन प्रतिनिधियों को नहीं होता है। अतः इस जानकारी से जनजाति महिला जन प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से अवगत कराना चाहिए, जिससे वह उक्त अधिनियम के विपरीत कार्य न करें। महिला पंचायत जन प्रतिनिधि के साक्षर न होने की स्थिति में आवश्यक है कि वह पंचायत सम्बन्धी किसी भी कागज पर अंगूठा लगाने से पूर्व किसी विश्वसनीय व्यक्ति से पंचायत की बैठक में ही अन्य व्यक्तियों के समक्ष उसे पढ़वाकर सुने और समझें। तत्पश्चात् ही उस पर अंगूठा लगायें।

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जनजातिय ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास में लघु एवं कुटीर एवं उद्योगों की भूमिका का लाभ

योजना निर्माताओं ने ग्राम्य विकास को सामुदायिक विकास योजना के मुख्य लक्ष्यों में से एक बताया है। एस.सी. दुबे ने सामुदायिक विकास योजना के प्रमुख उद्देश्यों में ग्राम विकास एवं लघु कुटीर उद्योगों को महत्वपूर्ण माना है। लघु कुटीर उद्योगों से आशय ऐसे उद्योगों से है जो पूर्णतया या मुख्यतया परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्णकाल या अंशकाल व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे लघु कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। योजना आयोग ने भी लिखा है कि, “लघु कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है।” शोधार्थी ने उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जनजातिय ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंचायतों की भागीदारी से लाभ ग्राम्य विकास में लघु कुटीर उद्योगों की भूमिका के अध्ययन में सम्मिलित सूचनादाताओं से ज्ञात किया है कि क्या वह ग्राम्य विकास में लघु कुटीर उद्योगों की भूमिका मानते हैं?

इस संदर्भ में संकलित आँकड़ों को सारिणी संख्या 5.19 में प्रदर्शित किया गया है

सारिणी संख्या 5.19

पंचायती राज और ग्रामीण आदिवासी विकास में लघु एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	ग्रामीण विकास में लघु एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका है	संख्या	प्रतिशत
1-	हाँ	273	91-00%
2-	नहीं	27	9-00%
	योग	300	100-00%

उपरोक्त सारिणी की विवेचना से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 273 (91.00%) सूचनादाताओं का मानना है कि आदिवासी ग्राम्य विकास में लघु कुटीर उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा शेष 27 (9.00%) इस मत से सहमत नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (91.00%) सूचनादाता ग्राम्य विकास में लघु कुटीर उद्योगों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि यदि ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है। ऐसा करने पर ही महात्मा गांधी के इस कथन की प्रासंगिकता भी सिद्ध हो सकेगी कि, “भारतवर्ष के ग्रामों का भविष्य उसके कुटीर उद्योग धंधों पर आश्रित है।”

आदिवासी ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाने हेतु उपयोगी संस्थाएं

भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने विभिन्न ग्राम्य विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं को संचालित किया, जिससे कि ग्रामीण समाज का पुनर्निर्माण हो सके। इन योजनाओं एवं

कार्यक्रमों को प्रभावशाली रूप से संचालित करने में कौन सी संस्थाएँ उपयोगी होंगी, इस संदर्भ में भी सूचनादाताओं के दृष्टिकोणों को संकलित किया गया है।

सूचनादाताओं से प्राप्त सूचनाओं को सारिणी संख्या 5.20 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.20

आदिवासी ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाने हेतु उपयोगी संस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	उपयोगी संस्थाएं	संख्या	प्रतिशत
1-	स्वैच्छिक संस्थाएं	169	56-33%
2-	स्थानीय ग्राम पंचायतें	113	37-67%
3-	राज्य स्तरीय सरकारी मशीनरी	18	6-00%
	योग	300	100-00%

सारिणी संख्या 5.20 से स्पष्ट होता है कि 169 (56.33%) सूचनादाताओं का मत है कि ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को प्रभावशाली रूप से चलाने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को यह दायित्व सौंपा जाना चाहिए। 113 (37.67%) का मत है कि यह दायित्व स्थानीय ग्राम पंचायतों को सौंपना चाहिए तथा शेष 18 (6.00%) का मत है कि यह दायित्व राज्य स्तरीय सरकारी मशीनरी को सौंपना चाहिए। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (56.33%) सूचनादाताओं का मत है कि ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को प्रभावशाली रूप से संचालित कराने हेतु यह दायित्व स्वैच्छिक संस्थाओं को सौंपना चाहिए। उनका मानना है कि यह

स्वैच्छिक संस्थाएँ अधिक निष्ठा एवं लगन के साथ ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को चलायेंगी, जिससे वांछित ग्रामीण विकास हो सकेगा।

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से ग्रामीण आदिवासी समाज में परिवर्तन

स्वतंत्र भारत में ग्राम्य विकास हेतु अनेक नियोजित प्रयास किये गये हैं, अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण समाज में अनेक परिवर्तन की प्रक्रियाएँ गतिशील हुयी हैं। शोधार्थी ने उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से ग्रामीण कार्यक्रमों ग्रामीण आदिवासी समाज में परिवर्तन सूचनादाताओं से ज्ञात किया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संचालित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से ग्रामों में अपेक्षित परिवर्तन हुआ है या नहीं?

इस संदर्भ में संकलित तथ्यों को सारिणी संख्या 5.21 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.21

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से ग्रामीण आदिवासी समाज में जो परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	आदिवासी ग्रामीण समाज मे परिवर्तन हुआ है	संख्या	प्रतिशत
1-	हाँ	289	96-33%
2-	नहीं	11	3-67%
	योग	300	100-00%

उपरोक्त सारिणी की विवेचना से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 289 (96.33%) सूचनादाताओं का मानना है कि ग्राम्य विकास कार्यक्रमों से ग्रामीण समाज में परिवर्तन हुआ है तथा शेष 11 (3.67%) ने इसके विपरीत मत व्यक्त किया है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (96.33%) सूचनादाताओं का मत है कि स्वतंत्रता के पश्चात संचालित ग्राम्य विकास कार्यक्रमों से ग्रामीण समाज में परिवर्तन हुआ है।

उत्तरप्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण आदिवासी समाज में परिवर्तन के क्षेत्र

उत्तरप्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों ग्रामीण आदिवासी समाज में परिवर्तन और परिवर्तन के क्षेत्र अध्ययन में सम्मिलित जिन 289 सूचनादाताओं का मानना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्राम्य विकास कार्यक्रमों से ग्रामीण समाज में परिवर्तन हुआ है, उनसे ज्ञात किया गया है कि यह परिवर्तन किन-किन क्षेत्रों में हुआ है?

अध्ययन द्वारा संकलित तथ्यों को सारिणी संख्या 5.22 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 5.22

आदिवासी ग्रामीण समाज में परिवर्तन के क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	किन-किन क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है	संख्या	प्रतिशत
1-	शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में	173	59-86%
2-	सामाजिक एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में	91	31-49%
3-	जनसंचार एवं विद्युतीकरण के क्षेत्र में	19	6-57%
4-	सामाजिक, वानिकी, जल प्रबंधन, और गैर पारम्परिक ऊर्जा क्षेत्र में	06	02-08%
	योग	289	100-00%

सारिणी संख्या 5.22 की विवेचना से स्पष्ट होता है कि 173 (59.86%) सूचनादाताओं का मानना है कि ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के प्रभाव के परिणामस्वरूप आदिवासी ग्रामीण समाज में शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। 91 (31.49%) का मानना है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। 19 (6.57%) का मानना है कि आदिवासी ग्रामीण समाज में जनसंचार एवं विद्युतीकरण के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। 06 (2.08%) सूचनादाताओं का मानना है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक वानिकी, जल प्रबंधन एवं गैर-पारम्परिक ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (91.35%) सूचनादाताओं का मानना है कि ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के प्रभाव के परिणामस्वरूप ग्रामीण समाज के शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं

स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। इन सभी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ग्रामीण सामाजिक संगठन एवं संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव

पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए समय-समय पर अनेक अध्ययन दलों एवं समितियों की नियुक्ति की गयी है। इनका कार्य ऐसे सुझाव देना था, जिनकी सहायता से पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास का एक प्रभावपूर्ण माध्यम बनाया जा सके। विभिन्न समितियों के सुझावों के आधार पर ही पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ी जातियों, कमजोर वर्गों, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के प्रयत्न किये गये हैं। इन सभी प्रयत्नों के उपरान्त भी वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था में अनेक दोष दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिन्हें दूर किये बिना पंचायती राज व्यवस्था से लक्ष्यों के अनुरूप सफलता प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती है। इसी विचार को दृष्टीगत रखते हुए शोधार्थी ने उत्तरप्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों ग्रामीण आदिवासी समाज में सूचनादाताओं से पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने हेतु अनौपचारिक वार्तालाप कर सुझावों को संकलित किया है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है -

1. सर्वप्रथम आवश्यक है कि पंचायती राज संस्थाओं से सम्बद्ध अधिकारियों और प्रतिनिधियों के बीच सन्देह और अविश्वास को दूर किया जाये और सम्बन्धों में सुधार लाया जाय। ऐसा करने के उपरान्त ही पंचायती राज संस्थाओं की कार्यवाही प्रभावशाली रूप से संचालित हो सकेगी।

2. ग्रामीण शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया जाना चाहिए। कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग, महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए। अशिक्षित जन प्रतिनिधियों को विशेषतः पंचायती राज व्यवस्था की कार्यवाही का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे कि वह पंचायती राज व्यवस्था की कार्यवाही को ठीक प्रकार से सम्पन्न कर सकें। साथ ही आवश्यक होगा कि जनप्रतिनिधियों के लिये भी एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित होना अनिवार्य किया जाना चाहिए। ऐसा होने के उपरान्त ही वह अपने अधिकारों, कर्तव्यों व विकास कार्यों को सही ढंग से समझ कर दायित्व का निर्वहन कर सकेंगे।

3. पंचायतों के सफल कार्य संचालन के लिये पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए और स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कब किस कार्य के लिए धन उपलब्ध किया जायगा और उसी समय पर धन उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए, जिससे इन संस्थाओं के प्रति व्यक्तियों का विश्वास बना रहे। पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके इसके लिए विभिन्न मर्दों से होने वाली आय का कुछ हिस्सा निश्चित कर इन्हें दिया जाना चाहिए, जिससे वे स्वयं ग्रामीण विकास के कार्य कर सकें।

4. ग्राम पंचायतों को विकास योजनाएँ तैयार करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपने गाँव की आवश्यकतानुसार विकास कार्य योजना तैयार कर सकें। विकास कार्य योजनाओं की जानकारी सामान्य जनता तक भी पहुँचनी चाहिए, जिससे जनता अपना सक्रिय सहयोग इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों को मूर्तरूप देने में दे सके।

5. वर्तमान समय में पंचायतों में विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ एवं अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, किन्तु अशिक्षा एवं अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों की पर्याप्त जानकारी न होने के कारण वह अपनी भूमिका का सही रूप में

निर्वहन नहीं कर पाते हैं। अतः आवश्यक है कि सरकार द्वारा समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए और जन प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यो एवं अधिकारों की पर्याप्त जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

6. प्रायः यह देखा गया है कि प्रभुता सम्पन्न एवं उच्च जाति के व्यक्ति ग्राम सभा की बैठक ही नहीं बुलाते हैं, बल्कि घर बैठे ही सभी कार्यों की औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए आवश्यक है कि जनसंचार के माध्यमों द्वारा ग्रामवासियों को जागरूक बनाया जाय तथ ग्रामवासियों को ग्रामसभा की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

7. भारतीय राजनैतिक व्यवस्था पर जातिवाद का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। ग्रामीण पंचायतें, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, विधानसभाओं, लोकसभा तक के चुनावों में जातिवाद का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसी कारण डी.आर. गाडगिल ने “जातिवाद को राजनीति का केन्सर कहा है।” अतः राजनीति में जातिवाद के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक प्रयास करने चाहिए तथा चुनावों में शिक्षित, योग्य, चारित्रिक छवि वाले व्यक्तियों को ही प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए।

8. पंचायतों को राजकीय हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाना चाहिए, उन्हें अपने कार्यों को संचालित करने के लिए अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए।

9. ग्राम पंचायतों के चुनाव की पद्धति सरल व गुप्त होनी चाहिए। सरपंचों का चुनाव पंचों के माध्यम से होना चाहिए। इससे जनमानस में सरपंचों के प्रति सोच सकारात्मक बनेगी।

10. ग्राम पंचायतों के चुनाव की पद्धति सरल एवं पारदर्शी होनी चाहिए। उन्हीं प्रत्याशियों को टिकिट दिया जाना चाहिए जो समाज सेवा की भावना रखते हों, उनकी अपराधिक छवि न हो तथा संघर्षशील व्यक्तित्व हो। ऐसा करने के ही उपरान्त आशा की जा सकेगी कि जो व्यक्ति जन प्रतिनिधि के रूप में चयनित होंगे वह निश्चय ही पंचायती राज व्यवस्था के अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त कराने में सफल सिद्ध होंगे।

11. पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने हेतु 'सोशल आडिट' की व्यवस्था की जाय।

12. प्रायः यह देखा जाता है कि ग्रामीण समाज में चुनावों के कारण वैमनस्यता बढ़ जाती है। उसे सख्ती के साथ रोका जाय। सरकार को महिला हिन्सा एवं उत्पीड़न करने वालों को कठोर दण्ड देना चाहिए। ऐसा करने से आदिवासी ग्रामीण समाज की महिलाएँ नेतृत्व करने की ओर अधिक आकर्षित होंगी।